

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2209 / 2013 / भीलवाडा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाडा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शुभम् टैक्स ओपेक प्रा.लि.
भीलवाडा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री ओ.पी.दौसाया

अभिभाषक

निर्णय दिनांक 17.05.2017

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 139/वैट/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाडा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 2,96,240/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाडा द्वारा ने दिनांक 07.02.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 रतनपुर जिला डूंगरपुर पर वाहन संख्या आरजे 20/जी-2680 को किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में एचडीपीई बैग्स भरे हुए थे, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1956039 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उक्त घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1956039 अधूरा भरा हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र अपूर्ण पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2) सपडित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि एचडीपीई बैग्स का स्टॉक ट्रांसफर के रूप में किया जा रहा था तथा जवाब के साथ नया वैट-47 नम्बर 1956040 संलग्न कर कीमत भूलवश अंकित नहीं की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब पर विचार करते हुए यह माना कि वैट-47 नम्बर 1956039 के सबसे महत्वपूर्ण कॉलम संख्या 3 में माल की कीमत अंको एवं शब्दों के

अलावा सभी कॉलम भरे हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी माल की कीमत को छुपाना चाहता है इसलिए दूषित मनोभाव साबित होता है इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से 2,96,240/-शास्ति आरोपित कर शास्ति आदेश दिनांक 08.02.2013 पारित किया। उक्त शास्ति आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2013 पारित किया है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ वैट-47 संख्या 1956039 (दोहरी प्रति में) आदि दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच पर पाया गया कि वैट-47 नम्बर 1956039 के सबसे महत्वपूर्ण कॉलम संख्या 3 में माल की कीमत अंको एवं शब्दों के अलावा सभी कॉलम भरे हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी माल की कीमत को छुपाना चाहता है इसलिए दूषित मनोभाव साबित होता है क्योंकि घोषण पत्र की प्रथम प्रति की पूर्ति करते समय उसके कालम संख्या 3 में माल की कीमत अंकित करने में भूल हो सकती है किन्तु उसकी दूसरी प्रति में उसी कॉलम की को रिक्त छोड़ना यह दर्शाता है कि वह माल की कीमत छुपाना चाहता था। उनका कथन है कि घोषणा पत्र के कालम संख्या 3 को दोनों प्रतियों में रिक्त रखना दोषी मनोभाव का दर्शाता है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) सपटित नियम 53 (1) की अवहेलना होने से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो विधिक प्रावधानों की विरुद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग पाये गये माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956039 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनका कथन है कि जैसे ही ध्यान में आया तक घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956039 का कालम संख्या जिसमें माल की कीमत अंकित की जानी है, रिक्त है वैसे ही नोटिस के जवाब के साथ नया घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956040 पूर्ण रूप से भरकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उसको अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि घोषणा पत्र वैट-47 में छपी तारीख, माह एवं रू. के स्थानों को पंच किया

हुआ और उसमें इनवाइस नम्बर व तारीख तथा वाहन संख्या का स्पष्ट रूप से अंकन किया हुआ है इसलिए विभाग द्वारा यह मानना कि राशि छुपाने का प्रयास किया गया है, अनुचित एवं अविधिक है। उनका यह भी कथन है कि माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की करवचना की सम्भावना नहीं थी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धरित करते हुए बताया कि उक्त निर्णय के प्रकाश में शास्ति आरोपित किया जाना अनुचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया साथ ही अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पर दृष्टिपात किया गया है। पत्रावली के अवलोकन पर पाया जाता है कि वक्त जांच पाये गये माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956039 दो प्रतियों में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका कालम संख्या 3, जिसमें माल की कीमत अंकित की जानी थी रिक्त है। घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956039 का कालम संख्या 3 रिक्त होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी का दोषी मनोभाव मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है।

उक्त तथ्यों के अनुसरण में पत्रावली पर उपलब्ध घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956039 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट-47 दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वैट-47 में छपी तारीख, माह एवं राशि के कालम्स को पंच किया हुआ है तथा उसमें वाहन संख्या का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए करवचना का दोषी मनोभाव प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त नोटिस के जवाब में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 1956040 प्रस्तुत किया गया है, जिससे जिस आरोप के आधार पर शास्ति आरोपित की गई, उसकी पूर्ति हो जाती है इसलिए यह मानकर शास्ति आरोपित करना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी माल की कीमत को छुपाना चाहता है और इसलिए दूषित मनोभाव साबित होता है, उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी पी मेटल के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है।



प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2013 उचित होने से उसकी पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य